न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 01/2021

प्रार्थी– देवीसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी सिलोर तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण– ग्राम पंचायत सिलोर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सिलोर तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 05.10.2020 जो ग्राम पंचायत सिलोर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री सम्पत बोथरा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 27.10.2021

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 2 ग्राम पंचायत सिलोर द्वारा प्रार्थी के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम सिलोर मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का आवासीय पट्टा विलेख सं. 37 दिनांक 28.08.2009 जारी किया गया। इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 [illegible] 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु नि[illegible] [illegible]/2011 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस निगरानी [illegible]र्थना पत्र पर सुनवा[illegible]ंत निर्णय दिनांक 12.04.2016 के द्वारा ग्राम पंचायत सिलोर द्वारा जारी पट्टा

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:41:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

विलेख सं. 37 को खारिज करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर, मौका मुआयना कर, दोनो पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं दोनो पक्षों से साक्ष्य सबूत रेकर्ड पर लेकर नियमानुसार पुनः उचित आदेश पारित करें। इस आदेश की पालना में ग्राम पंचायत सिलोर द्वारा दोनो पक्षों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया तथा ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.10.2020 में प्रस्ताव सं. 3 पारित करते हुए प्रार्थी देवीसिंह द्वारा नये सिरे से आबादी भूमि के पट्टा हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर सर्वसम्मति से उक्त विवादित भूमि पूर्ण रूप से आबादी की मानते हुए अतिक्रमण मुक्त किये जाने का आलौच्य निर्णय लिया गया। ग्राम पंचायत सिलोर द्वारा पारित इस प्रस्ताव सं. 3 दिनांक 05.10.2020 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत सिलोर का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत सिलोर द्वारा प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य के भूखण्ड बाबत जो आलौच्य प्रस्ताव सं. 3 दिनांक 05.10.2020 एकपक्षीय पारित किया गया हैं वह विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य हैं। मौजा सिलोर में आबादी भूमि खसरा नम्बर 374 में प्रार्थी का पुश्तैनी ... एवं निवास तथा स्वामित्व का भूखण्ड आया हुआ हैं ... सिलोर द्वारा पट्टा सं. 37 दिनांक 28.07.2009 को जारी किया गया था। प्रार्थी के विरूद्ध राजनैतिक द्वेषता से बलवन्तसिंह पुत्र हरिसिंह द्वारा इस न्यायालय के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:41:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 49/2011 प्रस्तुत किया गया, जिसमे न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 12.04.2016 के द्वारा आदेश पारित कर दोनो पक्षों का सुनवाई का अवसर प्रदान कर, साक्ष्य सबूतों को रेकर्ड पर लेकर, नियम 145 से 147 की प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही करें। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आदेश आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए न तो निगरानीकर्ता का सूचना दी गई और न ही नियम 145 से 157 तक की प्रक्रिया अपनाई गई। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा के निर्णय की स्पष्ट अवहेलना होने से आलौच्य आदेश निरस्त योग्य हैं। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई हैं तथा आलौच्य प्रस्ताव एकपक्षीय पारित किये जाने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से भी निरस्त योग्य हैं। अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य प्रस्ताव में प्रार्थी के आधिपत्य की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्णय लिया गया हैं इससे स्पष्ट हैं कि भूमि प्रार्थी के कब्जे में हैं। प्रार्थी द्वारा इसी विवादित भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय के समक्ष व्यादेश का वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें मौका रिपोर्ट ली गई हैं तथा उक्त मौका रिपोर्ट में भी प्रार्थी का कब्जा होना स्पष्ट रूप से अंकित किया गया हैं। सिविल न्यायालय द्वारा प्रार्थी के हक में ग्राम पंचायत के विरूद्ध दिनांक 08.08.2016 को निर्णय एवं डिक्री पारित कर प्रार्थी के पट्टासुद भूखण्ड में ग्राम पंचायत निर्माण कार्य इत्यादि नहीं कराने का व्यादेश जारी किया गया हैं। ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य प्रस्ताव पारित किया गया हैं जो निरस्त योग्य हैं। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत सिलोर द्वारा पारित प्रस्ताव सं. 3 दिनांक 05.10.2020 अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:41:24 IST
Reason: SelfAttested

4. अप्रार्थी का नोटिस [illegible] अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाडमेर

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता कथन हैं कि मौजा सिलोर में आबादी भूमि खसरा नम्बर 374 में प्रार्थी का पुश्तैनी कब्जे एवं निवास तथा स्वामित्व का भूखण्ड आया हुआ हैं जिसके लिए ग्राम पंचायत सिलोर द्वारा पट्टा सं. 37 दिनांक 28.07.2009 को जारी किया गया था। प्रार्थी के विरूद्ध राजनैतिक द्वेषता से बलवन्तसिंह पुत्र हरिसिंह द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 49/2011 प्रस्तुत किया गया, जिसमे न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 12.04.2016 के द्वारा आदेश पारित कर दोनो पक्षों का सुनवाई का अवसर प्रदान कर, साक्ष्य सबूतों को रेकर्ड पर लेकर, नियम 145 से 147 की प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही करें। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आदेश की पालना मे न तो निगरानीकर्ता का सूचना दी गई और न ही नियम 145 से 157 तक की प्रक्रिया अपनाई गई। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा के निर्णय की स्पष्ट अवहेलना होने तथा आलौच्य प्रस्ताव एकपक्षीय पारित किये जाने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से भी निरस्त योग्य हैं। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के दौरान माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर द्वारा रिट याचिका सं. 110239/2020 में पारित निर्णय दिनांक 09.11.2020 की प्रति प्रस्तुत की गई। उक्त रिट याचिका इस न्यायालय द्वारा निगरानी सं. 49/2011 में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका में ग्राम पंचायत को निर्देशित किया गया हैं कि ग्राम पंचायत प्रार्थी के आवेदन पत्र को नियमानुसार साक्ष्य–सबूतों को रेकर्ड पर लेते हुए निस्तारण करें। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य प्रस्ताव से सम्बन्धित बैठक कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत किया गया जिसके अवलोकन से पाया जाता हैं कि प्रार्थी एवं पूर्व निगरानीकर्ता बलवन्तसिंह को सुनवाई हेतु कोई सूचना जारी किये गये है तथा इसके उपरान्त आलौच्य प्रस्ताव पारित किया गया हैं जबकि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करते हुए निर्देशित किया गया था कि दोनो पक्षों को

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:41:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान कर, साक्ष्य सबूतों को रेकर्ड पर लेकर एवं नियम 145 से 157 की प्रक्रिया अपना कर नियमानुसार प्रकरण का निरस्तारण करें। इस प्रकार आलौच्य एक प्रस्ताव में ही प्रकरण का निर्णय कर दिया तथा प्रार्थी को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया जाना नहीं पाया जाता हैं। ग्राम पंचायत के उक्त प्रस्ताव में प्रार्थी को नोटिस जारी करने का उल्लेख किया गया हैं कि जबकि प्रार्थी का अभिकथन हैं कि उसे कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ हैं। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत अभिलेख से भी यह स्पष्ट नहीं हो रहा हैं कि प्रार्थी को कोई नोटिस विधिवत रूप से जारी हुआ हों एवं उसकी पर्याप्त तामील हुई हों। इस प्रकार ग्राम पंचायत सिलोर द्वारा इस न्यायालय के निर्देशों की पालना नहीं की गई हैं तथा आलौच्य प्रस्ताव एकपक्षीय पारित किये जाने से न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ग्राम पंचायत सिलोर द्वारा बैठक दिनांक 05.10.2020 में पारित प्रस्ताव सं. 03 के तहत लिये गये निर्णय को अपास्त किया जाता है। प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत सिलोर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि दोनो पक्षों को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विवादित भूखण्ड पर कब्जे व स्वामित्व की पूर्ण जांच कर राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में यथाविहित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रकरण का नये सिरे से निस्तारण करें।

7. निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:41:24 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर